

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए" ब्लॉक, जनपथ , जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 2 (क) अलेमे- I/ लिंक न . 5693/ 739

दिनांक :- 01-01-2020

कार्यालय आदेश

श्री मदन लाल [लिंक नं. 5693] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय प्रभारी भौतिक सत्यापन दल , निरीक्षण विभाग, चूरू - [7000067] जिनकी जन्म तिथि 03/01/1962 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 06/01/2020 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 06/01/2020 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री मदन लाल की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 15/12/1988 है।

विन (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री मदन लाल के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 2 (क) अलेमे- I/ लिंक न . 5693/ 739

दिनांक :- 01-01-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. प्रभारी भौतिक सत्यापन दल , निरीक्षण विभाग, चूरू
4. कोषाधिकारी चूरू
5. श्री मदन लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय प्रभारी भौतिक सत्यापन दल , निरीक्षण विभाग, चूरू
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गभित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(अरविन्द दीवान)
(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I))